



मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

174, कल्याणपुरा हाऊस, चैतन्य मार्ग, झाबुआ (म.प्र.)

Email- dreojhabua.mpvvn1982@gmail.com Phone No. :- 07392-245829

क्र०/ऊ.वि.नि./ प्रशा./चल/अ.सम्पत्ति/2019-20/२६०

दिनांक : 09/01/2020

प्रति,

श्री राजेश श्रीवास्तव
अति. प्रशासकीय अधिकारी

विषय :- म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-19 के अन्तर्गत वर्ष 2019 का चल-अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

सन्दर्भ :- आप का पत्र क्र.- ऊ.वि.नि./ प्रशा./चल/अ.सम्पत्ति/2019-20/2239 भोपाल, दिनांक 06/12/2019
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(राजकुमार पाराशर)

जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास नि.लि. झाबुआ/अलीराजपुर

2

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजकुमार पाराशर 2. वर्तमान धारित पद डी.आर.ई.ओ. जालंधर
3. वर्तमान वेतन : 1,17,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आभयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. तह. बावई, जि. होशंगाबाद	भवन		6 लाख	स्वयं के नाम पर	पैत्रिक	10,000/-	
2. ग्राम बनसेडी, तह. बावई, जि. होशंगाबाद		4 एकड़	8 लाख	स्वयं के नाम पर	पैत्रिक	6,000/-	
3. ग्राम बनसेडी, तह. बावई, जि. होशंगाबाद		3 एकड़	6 लाख	स्वयं के नाम पर	पैत्रिक	10,000/-	
4. ग्राम बनसेडी, तह. बावई, जि. होशंगाबाद		3 एकड़	6 लाख	पत्नी के नाम पर	पैत्रिक	-	
5. ग्राम समौन, तह. बावई, जि. होशंगाबाद		7225 वर्ग फुट	4 लाख	पत्नी के नाम पर	पैत्रिक	-	
6. भोपाल, जिला भोपाल	फ्लैट	-	9 लाख	स्वयं के नाम पर	पैत्रिक	-	
7. ग्राम बनसेडी, तह. बावई, जि. होशंगाबाद		4.65 एकड़	7 लाख	विशाल पाराशर पुत्र के नाम पर	पैत्रिक	-	
8. अल्हो वॉहन (चार पहिमा)	MP 09, C.D.	74 53	-	स्वयं के नाम पर स्वयं खरीदी	स्वयं खरीदी	-	

• जहां लागू न हो कानूनी देखिए।
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परिसर यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित भूखण्ड, इलाहाबाद में मिली या उनके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या खेती या उनके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम P. P. Parashar
 पद D.R.O. Jalandhar
 तिथि 10.1.20